

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 30/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/36)

तारीख दायरा
30.01.2024
तारीख निर्णय
23.12.2024



राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, कं.पाटन (जिला बून्दी)

बनाम

रघुकिता आ. भावसिंह जाति बंजारा,
निवासी गण्डोलीखुर्द की झौपडियां
तहसील कं.पाटन, हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी

— प्रार्थी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रघुकिता को किये गये भूमि आवंटन
ख.सं. 491 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं ख.सं. 492 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाकेग्राम
गण्डोलीखुर्द की झौपडिया आवंटन आदेश दिनांक 09.01.2007 को निरस्त
किये जाने हेतु राजकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)
के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र
हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 30/2024 पर दर्ज
रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/36 ऑनलाईन इन्ट्राज किया गया।
अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.09.2024 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थी
द्वारा पेश की गई कार्यवाही फरमायी जाकर आवंटन यथावत रखा जाने का
निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


जिला कलक्टर, बून्दी

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायवक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवंटन परामर्शदानी समिति द्वारा भूमिहीन अप्रार्थी को दिनांक 09.07.2007 को ग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपडिया की आराजी खसरा संख्या 491 रकबा 0.30 हैक्टयर एवं खसरा सं. 492 रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि नियमानुसार आवंटित की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि का मौके पर कब्जा संभलाया गया था, तब से ही उक्त भूमि पर अप्रार्थी ही काबिज काशत चला आ रहा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काशत होने से अप्रार्थी को नियमानुसार गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तब से ही उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी की गैर खातेदारी में चली आ रही है। अप्रार्थी के आवंटन को 17 वर्ष हो चुके है। तहसीलदार साहब द्वारा मौके पर जाकर उक्त भूमि की कब्जे की कोई जानकारी नहीं की गई और न ही पड़ोसी काशतकारों से कोई पूछताछ की गई। पटवारी हल्का द्वारा रंजिभावश तैयार की गई असत्य रिपोर्ट के आधार पर ही यह कार्यवाही पेश की गई है जो गलत है। वैसे आवंटी को आवंटन के 3 वर्ष बाद नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। फिर भी प्रार्थी द्वारा झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि रघुकिता आ. भावसिंह जाति बंजारा निवासी गण्डोलीखुर्द की झौपडिया को दिनांक 09.01.2007 को भूमि खसरा सं. 491 रकबा 0.30 हैक्टयर एवं खसरा सं. 492 रकबा 0.25 हैक्टयर कुल रकबा 0.55 हैक्टयर वाकेग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपडिया का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध गण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमावदी संवत 2075-2078 के अनुसार भूमि ख.सं.491 रकबा 0.30 हैक्टयर एवं ख.सं.492 रकबा 0.25 हैक्टयर पर अप्रार्थी रघुकिता आ. भावसिंह जाति बंजारा निवासी गण्डोलीखुर्द की झौपडिया गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 12.10.2020 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि "पड़त" पड़ी हुई है।



यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये जवाब में उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना अंकित किया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रघुकिता आ. भावसिंह जाति बंजारा निवासी गण्डोलीखुर्द की झौपडिया को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 491 रकबा 0.30 हैक्टयर एवं ख.सं. 492 रकबा 0.25 हैक्टयर कितता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टयर वाकोग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो उसके विरुद्ध अतिकमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अशय गोदार,
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर, बून्दी

